# कार्यालय : जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या 1343 /(भू0अ0)/न0म0पा0–प्रथम/लखनऊ दिनांक: 7 दिसम्बर 2021

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा, लखनऊ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु जनपद लखनऊ, तहसील मोहनलालगज जिला लखनऊ में ग्राम रसूलपुर आशिकअली की 0.1508 हे0, हसनापुर की 0.2354 हे0 आदमपुर नौबस्ता की 0.1563 हे0, महुराकला की 0.0580 हे0 व पहासा की 0.044 हे0 व कुल 0.6445 हे0 अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

2: परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से पूर्व राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 14–5–2019 को अनुमोदित किया गया था।

3: सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार था:–

समिति यह अनुभव करती है कि पूर्वाचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट लोक उद्देश्यों की सेवा करेगा तथा इसका निर्माण न केवल क्षेत्रीय एकीकरण का कार्य करेगा बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक समृद्वि के लिए सहायक होगा।

भूमि प्रदान करने वाले काश्तकारों से हुए विचार विमर्श से यह प्रतीत होता है कि वे अपनी भूमि परियोजना को देने के लिए सहमत है, यदि भूमि का उचित मुआवजा उन्हें प्रदान किया जाए। ग्रामीण इस बात से भी सहमत है कि पूर्वाचल एक्सप्रेसवे उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में लाभदायी होगा।

ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि सर्किल रेट के आधार पर प्रस्तावित मुआवजें बाजाद दर से काफी कम है। इस लिए समिति दृढता से अपने निष्कार्ष के आधार पर सिफारित करती है कि मुआवजे की दर को विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में बढाया जाना चाहिए कि प्रभावित क्षेत्र के सर्किल रेट दिसम्बर 2015 से बढाये नही गये है और प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2018 में किया जा रहा है।

समिति द्वारा यह भी अनुभव किया गया है कि ग्रामीणों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बचने के लिए मुआवजे की दर एक ही क्षेत्र में समान होनी चाहिए और यह भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 (बी) में वर्णित भूमि के मूल्य के निर्धारण या अवधरण करने के मापदण्ड के अनुरूप भी होगा।

4: समिति की उक्त संस्तुति के सम्बन्ध में यूपीडा के पत्र सं0 2907/यूपीडा 18/548–(01)–।। (भू–अर्जन), दि0 14–9–2018 में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना के उपरोक्तानुसार प्रभावित क्षेत्रों के सर्किल रेट पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही कर एवं निबंधन विभाग/जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा नियत प्रकिया के अनुसार करने पर विचार किया जायेगा।

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 मे कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण उल्लिखित किया गया है, जिसके बिन्दु –ख में उल्लेख है कि निकटवर्ती ग्राम या

निकटवर्ती पडोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत कलेक्टर द्वारा प्रतिकर का निर्धारण किया जायेगा।
उक्त के क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन की कार्यवाही के उपरान्त वर्तमान में इसी परियोजना हेतु अनुसूची में वर्णित निम्नवत् अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

5: भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

6: अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

| जनपद | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा सं0 | अर्जित कये जाने वाल क्षेत्रफल (हे0 में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| लखनऊ | मोहनलालगंज | गोसांईगंज | रसूलपुर आशिकअली | 460 | 0.0572 |
| | | | | 461 | 0.0562 |
| | | | | 467 | 0.0264 |
| | | | | 788 | 0.0110 |
| | | | | योग | 0.1508 |
| | | | हसनापुर | 65 | 0.2354 |
| | | | | योग | 0.2354 |
| | | | आदमपुर नौबस्ता | 517 | 0.0550 |
| | | | | 518 | 0.0299 |
| | | | | 523 | 0.0714 |
| | | | | योग | 0.1563 |
| | | | महुराकलां | 1764 | 0.0580 |
| | | | | योग | 0.0580 |
| | | | पहासा | 215 | 0.0440 |
| | | | | योग | 0.0440 |
| | | | | कुल योग | 0.6445 |

7: अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित कियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

8: अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9: अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

(धर्मेन्द सिहं)
कलेक्टर,
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)

सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, अनुभाग–13, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2) अपर मुख्य औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
(3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा लखनऊ।
(5) निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मण्डलायुक्त लखनऊ।
(7) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय प्रेस, इलाहाबाद।

कलेक्टर,
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)